

प. रे. W. R.

जी 15 एफ/आर 2
G 15 F/R 2

भविष्य-निधि / भविष्य-निधि में विशेष अंशदान / उपदान / अनुग्रह उपदान का भुगतान
PAYMENT OF PROVIDENT FUND/SPECIAL CONTRIBUTION TO
PROVIDENT FUND/GRATUITY/COMPASSIONATE GRATUITY

(मनी आर्डर / चैक / बैंक ड्राफ्ट द्वारा भविष्य-निधि / भविष्य निधि में विशेष अंशदान / उपदान / अनुग्रह उपदान के भुगतान के लिए पानेवाले का अधिकार-पत्र)

(Payee's letter of authority for payment of Provident Fund/Special Contribution to Provident Fund/Gratuity/Compassionate Gratuity by Postal Money Order/Cheque/Bank Draft.)

सेवा में To,

वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी The Financial Adviser & Chief Accounts Officer

.....रेलवे Railway.

प्रिय महोदय Dear Sir,

निवेदन है कि मेरी भविष्य-निधि/भविष्य-निधि में विशेष अंशदान/उपदान/अनुग्रह उपदान की रकम मनी आर्डर से या.....बैंक चैक/बैंक ड्राफ्ट से रजिस्ट्री करा कर मेरे पास निम्नलिखित पते पर भेजी जाए।

I request that my Provident Fund/Special Contribution to Provident Fund or/and Gratuity/Compassionate Gratuity Moneys may be remitted to me by Postal Money Order or by Cheque/ Bank Draft on.....Bank sent by registered post at the following address.

मैं इस बात से सहमत हूँ कि उपर्युक्त तरीके से जो रकम भेजी जायेगी उसका प्रेषण मेरी जोखिम पर होगा और वह रकम मनी आर्डर या रजिस्ट्री डाक या चैक या ड्राफ्ट द्वारा, जैसी भी सूरत हो, भेजकर सरकार सभी दायिदा से पूर्णता मुक्त हो जायेगी। मैं रकम की रसीद इसके साथ भेज रहा हूँ।

I agree that the remittance made in the aforesaid manner shall be at my sole risk and shall be complete discharge of Government from all liability on the money being remitted by Money Order or in the Cheque to Bank Draft being forwarded by registered post, as the case may be, and enclose herewith a receipt for the amount.

स्टेशन.....
Station

भवदीय
Yours faithfully

तारीख.....
Date

.....
(हस्ताक्षर या बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान)
(Signature or left hand thumb impression)

पानेवाले का पूरा नाम.....
Full Name of the Payee

.....
पदनाम
Designation

पिता का नाम.....
Father's Name

.....
विभाग
Department

रकम (अकों में) रु.....
Amount (in figures) Rs.

गवाह के हस्ताक्षर.....
Signature of the Witness

पूरा पता.....
Full Address

.....
(कृपया पृष्ठ ऊलटें P. T.O.)

Courtesy : Western Railway Employees Union AHMEDABAD

रसीद RECEIPT

.....सेकी रकम प्राप्त हुई जो कि भविष्य निधि / भविष्य निधि में विशेष अंशदान / उपदान / अनुग्रह उपदान के तौर पर मेरे दावे के पूर्ण और अंतिम निवटारे के रूप में है।

Received from.....the sum for Rs.....in full and final settlement of my claim to the Provident Fund Amount/Special Contribution to Provident Fund/ Gratuity/Compassionate Gratuity.

रकम (अकों में) रु
Amount (in figures) Rs.

गवाह के हस्ताक्षर
Signature of the Witness

पूरा पता
Full Address

स्टेशन
Station

तारीख
Date

.....
(पानेवाले के हस्ताक्षर या बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान)
(Signature or left hand thumb impression of payee)

प्रेषित
Forwarded to

.....
(जिला अधिकारी / विभाग अध्यक्ष)
(Dist. Officer/Head of Deptt.)

नोट NOTE

रेलवे चैक निम्नांकित बैंकों के लिए जारी किये जा सकते हैं *Railway Cheque can be issued on-*

1. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई और कलकत्ता, या
Reserve Bank of India, Mumbai and Culcutta, or
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अजमेर, अहमदाबाद, आगरा, इन्दौर, फरुखाबाद, कानपुर, मथुरा, नडियाद, मडोच, सूरत, हिसार, हायरस सिटी, गोधरा, रतलाम, दाहोद, राजकोट, मेहसाना, वलसाड, वडोदरा और सिरसा, या
State Bank of India at Ajmer, Ahmedabad, Agra, Indore, Farrukhabad, Kanpur, Mathura, Nadiad, Bharuch, Surat, Hisar, Hathras City, Godhra, Ratlam, Dohad, Rajkot, Mahesana, Valsad, Vadodara and Sirsa, or
3. स्टेट बैंक ऑफ जयपुर।
State Bank of Jaipur at Jaipur, and
4. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, भावनगर।
The State Bank of Saurashtra at Bhavnagar.

रसीद RECEIPT

1. यदि रकम रु. 500 से अधिक हो तो रसीद पर 1 रुपया का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर किए जाएँ।
Receipt to be signed over 1 rupee Revenue Stamp when the amount exceeds Rs. 500/-
2. पानेवाले द्वारा आसन्न उच्च अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएँ और नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाएँ।
To be signed by payee in presence of immediate superior and countersigned by Controlling Officer.
3. पानेवाला यदि हस्ताक्षर न कर सकता हो तो वह अंगूठा निशानी लगाये जिसका गवाह द्वारा उल्लेख किया जाए।
Payee unable to sign to give thumb impression, which is to be specified by witness.
4. जिन प्रकरणों में पानेवाले ने रेलवे छोड़ दी हो, उनमें पानेवाले द्वारा रसीद पर किसी मजिस्ट्रेट या किसी जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये जाएँ जिनका विधिवत सादयांकन किया जाए और संबंधित अधिकारी की सरकारी मुहर द्वारा मुखांकित किया जाए।
In case when payee leaves off the Railway System, receipt to be signed by the Payee in the presence of a Magistrate or a responsible official and duly attested and enfaiced with the official seal of the official concerned.

परमु. महा. 11/05/129/2; 12-2011; 1,16,200.

Courtesy: Western Railway Employees Union AHMEDABAD